जल जीवन मिशन के अन्तर्गत दिनांक

31.10.2023 को

सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति

की चौवालीसवीं बैठक का

कार्यवृत्त

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
किसान बाजार, विभूति खण्ड, गोमतीनगर
लखनऊ–226010

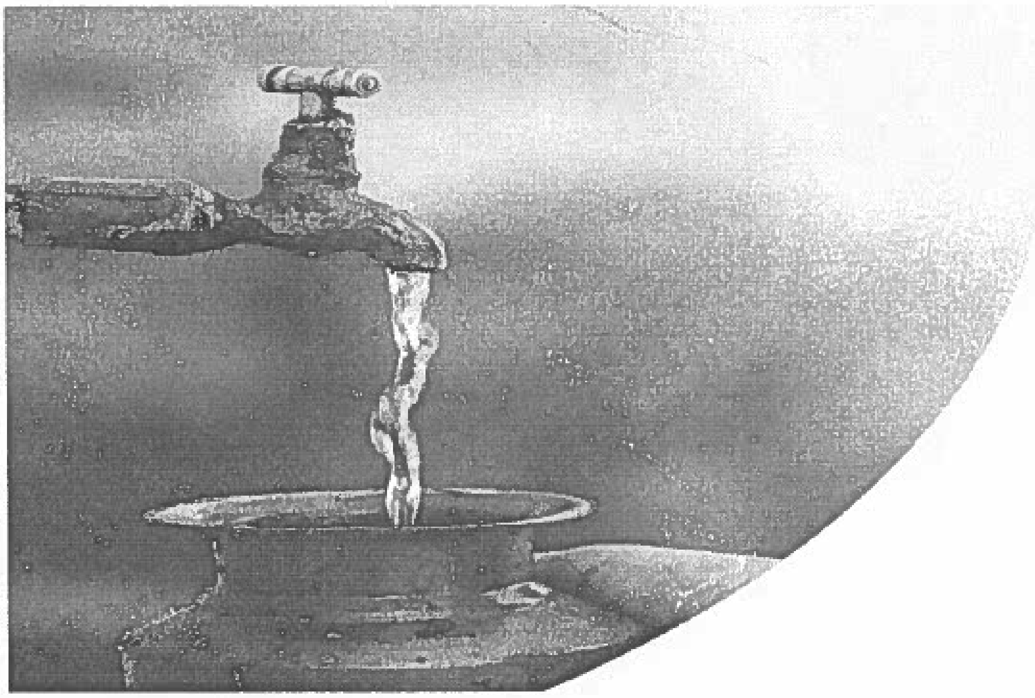

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 31.10.2023 को सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की चौवालीसवीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थितिः– संलग्न सूची के अनुसार।

बिन्दु संख्या–01

राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की दिनांक 12.09.2023 को सम्पन्न तिरालीसवीं बैठक के अनुपालन आख्या का मा0 समिति द्वारा संज्ञान लेते हुये निम्न निर्देश दिये गयेः–

1. जिन ग्रामो में पाइप पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है उन योजनाओ के समस्त कार्य समयावधि के अन्तर्गत अवश्य पूर्ण कर लिये जाएं।
2. जिन ग्रामों में पाइप पेयजल योजनाओं की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा प्रदान की जा चुकी है उनमें से जिन ग्राामों में अभी कार्य प्रारम्भ नही हुआ है, उन ग्रामों का अनुबंध अतिशीघ्र कराते हुये उन पर कार्य प्रारम्भ कर दिये जाएं।

THE STATUS OF WORK UNDER JAL JEEVAN MISSION AS ON 31-10-2023 44th JJM SLSSC)

Status	Number of villages that are yet to be allotted	Number of villages allotted but DPR pending	Number of villages where DPR is made but SLSSC approval pending	Number of villages where SLSSC approval awarded but work order not given	No of villages where work order was given but work has not started	Work in progress	Number of villages where work is completed	Number of villages that are certified	Total number of villages as per IMIS
Village	0	0	0	0	0	42212	54085	-	96297
FHTCs/HHs(In lakh)	0	0	0	0	0	125.29	176.31	-	263.04

एजेण्डा बिन्दु संख्या–1

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के 03 जनपदों के 19 ग्राम पंचायतों/29 ग्रामों में 19 नग पाइप पेयजल योजनाओं की कुल कार्य लागत रू0 70.06 करोड़ एवं अनुमानित लागत रू० 77.48 करोड़ का प्रस्ताव।

प्रदेश के विभिन्न 03 जनपदो के 29 ग्रामों में 19 पाइप पेयजल योजनाओ के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। इन 19 योजनाओं में से 12 योजनाये सोलर आधारित है एवं 07 योजना कम भूमि उपलब्ध होने के कारण विद्युत आधारित बनाई गई है। इन योजनाओ में 20 नग नलकूप, विभिन्न क्षमताओं के 11 नग शिरोपरि जलाशय, 295.67 कि०मी० वितरण प्रणाली आदि के कार्य प्रस्तावित हैं। योजनाओं के निर्माण कार्य पूर्ण होने पर 144773 जनसंख्या(अभिकल्पित वर्ष) लाभान्वित होगी। योजनाओं की प्रति व्यक्ति लागत औसतन रु० 4839 (अभिकल्पित जनसंख्या के आधार पर) है। इन योजनाओ में 17493 गृह नल संयोजन [FHTC- Functional House Tap Connection] का प्राविधान किया गया है। इन योजनाओं की प्रति FHTC औसत लागत रू0 40050 है।

कुल 19 योजनाओ में से विभिन्न 01 जनपद के 04 ग्रामों में रु० 5.00 करोड़ तक की लागत की 04 नग पाइप पेयजल योजनाओ के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। सभी 04 योजनाये सोलर आधारित है। इन योजनाओ में 04 नग नलकूप, विभिन्न क्षमताओं के 04 नग शिरोपरि जलाशय, 26.36 कि०मी० वितरण प्रणाली आदि के कार्य प्रस्तावित हैं। योजनाओं के निर्माण कार्य पूर्ण होने पर 12613 जनसंख्या (अभिकल्पित वर्ष) लाभान्वित होगी। योजनाओं की प्रति व्यक्ति लागत औसतन रु० 7887 (अभिकल्पित जनसंख्या के आधार पर) है। इन योजनाओ में 1747 गृह नल संयोजन [FHTC- Functional House Tap Connection] का प्राविधान किया गया है। इन योजनाओं की प्रति FHTC औसत लागत रू0 56947 है।

कुल 19 योजनाओ में से विभिन्न 02 जनपदो के 25 ग्रामों मे Augumentation Schemes की 15 नग पाइप पेयजल योजनाओ के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। इन 15 योजनाओं में से 08 योजनायें सोलर आधारित है एवं 07 योजनायें कम भूमि उपलब्ध होने के कारण विद्युत आधारित बनाई गई हैं। इन योजनाओ में 16 नग नलकूप, विभिन्न क्षमताओं के 07 नग शिरोपरि जलाशय, 269.31 कि०मी० वितरण प्रणाली आदि के कार्य प्रस्तावित हैं। योजनाओं के निर्माण कार्य पूर्ण होने पर 132160 जनसंख्या (अभिकल्पित वर्ष) लाभान्वित होगी। योजनाओं की प्रति व्यक्ति लागत औसतन रू0 4548 (अभिकल्पित जनसंख्या के आधार पर) है। इन परियोजनाओ में 15746 गृह संयोजन [FHTC- Functional House Tap Connection] का प्राविधान किया गया है। इन योजनाओं की प्रति FHTC औसत लागत रू0 38175 है।

प्रस्ताव "क"– रु० 5.00 करोड़ तक लागत की एजेण्डा के साथ संलग्न 04 योजनाओ की प्रशासनिक स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से प्राप्त की गई है। उपरोक्त 04 योजनायें, जिनकी कार्य लागत रु० 9.95 करोड़ एवं कुल लागत रु० 11.00 करोड़ है, की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव मा0 समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव "ख"–Augumentation Schemes **की एजेण्डा के साथ संलग्न 15 पेयजल योजनाओ की स्वीकृति हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अनुसंशा की गई है। उपरोक्त 15 योजनायें, जिनकी कार्यो की लागत रु० 60.11 करोड़ एवं कुल लागत रु० 66.48 करोड़ है, की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव मा0 समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।**

निर्णय – जल जीवन मिशन हर घर जल कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की चौवालीसवीं बैठक हेतु एजेण्डा संख्या–01 द्वारा प्रेषित कुल 19 पाइप पेयजल योजनायें, जिनमें 29 राजस्व ग्राम सम्मिलित है, के संबंध में जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर के पत्र संख्या–232/कार्य–74/232 दिनांक 04.12.2023, जिलाधिकारी सीतापुर के पत्र संख्या 2808/डब्लू–एस–5/78 दिनांक 02.12.2023 तथा जिलाधिकारी चन्दौली के पत्र संख्या 4681/जल जीवन मिशन/605 दिनांक 16.11.2023 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा उपरोक्त योजनाओं को मा0 समिति से अनुमोदन कराये जाने के संबंध में प्रेषित किये गये औचित्य पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित **Observations** *के साथ कुल 19 पाइप पेयजल योजनाओं के प्रस्ताव को मा0 समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया :–*

1. प्रस्तावित कार्य कराये जाने की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई। तकनीकी रूप से सही होने की जिम्मेदारी तकनीकी स्वीकृति देने वाले अभियन्ता की होगी। ऑकडो की सत्यता का परीक्षण कराना संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियंता का दायित्व होगा। सभी कार्यो का मौके पर निरीक्षण अभियंता के स्तर पर होना आवश्यक है और उपरोक्तानुसार परीक्षण/निरीक्षण करने के उपरान्त तथा तकनीकी विशिष्टियों से संतुष्ट होने के उपरान्त संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा कार्यो को प्रारम्भ कराया जाए।
2. प्रस्ताव के अनुसार योजनाओं की औसत प्रति व्यक्ति लागत रु0 4839 है, जो कि निर्धारित मानकों के अन्तर्गत है।
3. कृपया अगले एक सप्ताह में त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठित कर मौके पर कार्यो को प्रारम्भ कराया जाए।
4. कृपया यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए, कि मुख्य अभियंता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम द्वारा तय किये गये सभी 06 फिल्टर्स जो कि निम्नवत् हैं, का पालन किया जा रहा है :–

   (1) जनसंख्या/FHTC का अनुपात 4 से 8 के बीच होनी चाहिए।

   (2) रोड़ कटिंग एवं पुर्ननिर्माण की लागत, वितरण प्रणाली की लागत से 50 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा इसका शत प्रतिशत स्थलीय निरीक्षण करते हुये पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा एवं इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा, कि इस कार्य की मात्रा कार्य स्थल के अनुरूप ली गई है।

   (3) संबंधित जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की विशेष संस्तुति के कम में कतिपय योजनाओं की प्रति व्यक्ति कार्य लागत 6000 रूपये से अधिक ली गयी है।

   (4) OHT की Staging की उचॉई 20 मी0 से अधिक नही होगी।

   (5) वितरण प्रणाली की लागत रू0 15 लाख प्रति किलोमीटर से अधिक नही होनी चाहिये। कतिपय जनपदों में स्थान विशेष एवं योजना विशेष में लागत अधिक हाने पर संबंधित DWSM के विशेष संस्तुति पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

   (6) OHT की क्षमता 25KL के गुणांक में रखा जाय।
5. योजनाओं की जो विशिष्टियां राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति में रखी गयी हैं, उनसे किसी प्रकार का वित्तीय विचलन न हो।
6. सभी कार्य सक्षम अभियंताओं की देख–रेख मे ही सम्पन्न कराये जाए और टी0पी0आई0 द्वारा लगातार निरीक्षण करते हुए गुणवत्ता सुनिश्चित कराई जाए।
7. सेन्टेज चार्ज का वहन केन्द्रांश से नही किया जायेगा। प्रदेश सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुरूप निर्णय लिया जायेगा।
8. जिन एकल ग्राम पाइप पेयजल योजना (SVS) में FHTC की लागत रू0 25000.00 से अधिक आ रही है, उन एकल ग्राम पाइप पेयजल योजना की तकनीकी स्वीकृति देने से पूर्व योजना का परीक्षण/भौतिक सत्यापन संबंधित जनपद के अधिशासी अभियंता से अवश्य करा लिया जाय। इसी प्रकार जिन बहुल ग्राम

पाइप पेयजल योजनाओं (MVS) में FHTC की लागत रू0 47000.00 से अधिक आ रही है, उन बहुल ग्राम पाइप पेयजल योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति देने से पूर्व योजनाओं का परीक्षण/भौतिक सत्यापन संबंधित जनपद के अधिशासी अभियंता से अवश्य करा लिया जाय।

9. जिन एकल/बहुल पाइप पेयजल योजनाओं में वितरण प्रणाली (Distribution System) की लम्बाई कमशः 10कि0मी0/30कि0मी0 से अधिक आ रही हो तो, उन योजनाओं का तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने से पूर्व एक बार पुनः भौतिक सत्यापन संबंधित जनपद के अधिशासी अभियंता/सक्षम स्तर से करा लिया जाय।

10. समस्त स्वीकृत पाइप पेयजल योजनाओं के भुगतान की कार्यवाही, वास्तविक रूप से कराये गये कार्यो के अधार पर शत प्रतिशत कार्य का TPI से निरीक्षण कराने के उपरान्त ही कराया जाय।

11. सोर्स फाईडिंग कमेटी (SFC) की रिपोर्ट दिनांक 30.10.2023 के अनुसार, प्रस्तावित क्षेत्रों में बनाये जाने वाले नलकूपों के डिजाइन अवधि तक पर्याप्त मात्रा में श्राव उपलब्ध होने की पूर्ण सम्भावना है। यद्यपि समिति द्वारा उपरोक्त योजनाओं को स्रोत के स्थायित्व की दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है, तथापि स्रोत के स्थायित्व के संबंध में समिति द्वारा प्रस्ताव दिया गया है कि Resistivity Survey कराने के उपरान्त ही बोरिंग कार्य कराया जायें तथा अधिक से अधिक Rain Water Harvesting बनाये जायें। उपरोक्त का परिपालन सुनिश्चित किया जाए।

12. अवशेष ग्रामों में VWSC/Pani Samiti का गठन कराते हुये VAP का कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाये।

13. राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के पत्र संख्या W-11016/11/2021-JJM-IV-DDWS दिनांक 09.01.2023 के द्वारा योजनाओं के निरीक्षणोंपरान्त दिये गये सुझावों पर मा0 समीति द्वारा लिये गये निर्णय के कम में समस्त संबंधित यथा कार्यदायी संस्था, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण व टी0पी0आई0 एजेंसी को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन कार्यालय के पत्र संख्या–4210/W-22(NJJM DPR Observation)/2022-23 दिनांक 12.01.2023 व 4209/W-22 (NJJM DPR Observation)/2022-23 दिनांक 12.01.2023 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा उक्त सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाय।

SCHEMS DETAILS UP TO 5 CRS

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs.	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. In Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (In Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (In Rs.)	Design Year (In Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	GB NAGAR	LC INFRA	JEWAR	ALAMPUR LATHLA URF L	ALAMPUR LATHLA URF	1	1	1	683	2737	3225	3801	2.8790	0.3050	3.1840	10519	7574	1	175	0.3441
2	GB NAGAR	LC INFRA	JEWAR	ALAWALPUR	ALAWALPUR	1	1	1	168	675	820	1033	1.5973	0.1692	1.7665	24536	15462	1	50	0.1713
3	GB NAGAR	LC INFRA	DADRI	SALARPUR KALAN	SALARPUR KALAN	1	1	1	563	3567	4471	5604	3.0515	0.3233	3.3748	8555	5445	1	225	0.4500
4	GB NAGAR	LC INFRA	JEWAR	CHACHURA	CHACHURA	1	1	1	333	1367	1724	2175	2.4209	0.2565	2.6774	17710	11131	1	100	0.3000
	TOTAL					4	4	4	1747	8346	10240	12613	9.9487	1.0539	11.0026			4		1.2654

- 6 -

SCHEMS DETAILS UP TO 5 CRS

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting: Cost (in Cr.)	Cost of Road Cutting: Percentage of distributi	Cost of Solar / Power Capacity	Type of Scheme Solar / Electricity
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	GB NAGAR	LC INFRA	JEWAR	ALAMPUR LATHLA URF L	ALAMPUR LATHLA URF	1	1	1	12	1	0.1735	540	50	0.0075	8358	1.2452	0.4017	32.26	0.1736	SOLAR
2	GB NAGAR	LC INFRA	JEWAR	ALAWALPUR	ALAWALPUR	1	1	1	10	1	0.1746	140	50	0.0071	3543	0.4017	0.2007	49.96	0.0781	SOLAR
3	GB NAGAR	LC INFRA	DADRI	SALARPUR KALAN	SALARPUR KALAN	1	1	1	16	1	0.1746	750	50	0.0071	8461	1.1700	0.5800	49.57	0.2604	SOLAR
4	GB NAGAR	LC INFRA	JEWAR	CHACHURA	CHACHURA	1	1	1	16	1	0.1746	290	50	0.0071	5998	0.7700	0.3800	49.35	0.1128	SOLAR
	TOTAL					4	4	4		4	0.6972		200	0.02864	26360	3.5869	1.56235	181.142		

-7-

DETAILS OF RE-ORGANISATION SCHEMES

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs.	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	CHANDAULI	GA INFRA - BABA (JV)	CHAHANIYA	Awajapur	Awajapur	1	1	3	621	4000	4720	5430	3.2600	0.3453	3.6054	8150	6004	1	350	0.0570
2	CHANDAULI	GA INFRA - BABA (JV)	NIYAMATABAD	Katauri	Katauri	1	2	2	1068	7350	8820	10280	4.3250	0.4582	4.7831	5884	4207	1	500	0.0570
3	CHANDAULI	GA INFRA - BABA (JV)	NIYAMATABAD	Larawa	Larawa	1	1	2	689	4970	6020	7070	3.0788	0.3261	3.4050	6195	4355	1	500	0.0570
4	CHANDAULI	GA INFRA - BABA (JV)	NIYAMATABAD	Mahawalpur	Mahawalpur	1	1	2	899	5900	7380	8860	3.5819	0.3794	3.9613	6071	4043	1	1000	0.1070
5	CHANDAULI	GA INFRA - BABA (JV)	NIYAMATABAD	Niyamatabad	Niyamatabad	1	1	4	1432	8980	10860	12790	7.6576	0.8112	8.4687	8527	5987	2	250/ 150	0.0840
6	Sitapur	NCC LIMITED	Mahmudabad	Mitaura	Mitaura	1	1	2	621	3109	4041	4959	2.6416	0.2798	2.9214	6537	5327	0	0	0.0481
7	Sitapur	NCC LIMITED	Mahmudabad	Ghaila	Kedarpur	1	4	8	1060	5304	6687	8300	3.7707	0.3994	4.1701	5639	4544	0	0	0.0549
8	Sitapur	NCC LIMITED	Pahla	Bhurkura	Bhurkura	1	2	6	698	3492	4539	5570	3.4972	0.3705	3.8677	7705	6279	1	100	0.3886
9	Sitapur	NCC LIMITED	Biswan	Jahgirabad	Jahgirabad	1	1	10	2666	13330	17329	21195	6.4443	0.6827	7.1270	3719	3041	0	0	0.0632
10	Sitapur	NCC LIMITED	Pahla	Nyamatpur Laparha	Nyamatpur Laparha	1	2	6	626	3133	4072	4997	2.9686	0.3145	3.2831	7291	5941	0	0	0.0546
11	Sitapur	NCC LIMITED	Pahla	Bajehra	Bajehra	1	2	10	1248	6241	8113	9954	4.2044	0.4454	4.6498	5183	4224	0	0	0.0549
12	Sitapur	NCC LIMITED	Biswan	Biswan Dehat	Biswan Dehat	1	1	5	1303	6519	8474	10365	4.0028	0.4240	4.4268	4724	3862	0	0	0.0546
13	Sitapur	NCC LIMITED	Machrehta	Paidapur	Paidapur	1	3	4	459	2431	3160	3865	2.4526	0.2598	2.7124	7762	6346	0	0	0.0481
14	Sitapur	NCC LIMITED	Mahmudabad	Dharampur	Dharampur	1	2	14	1170	5850	7283	9067	4.5959	0.4869	5.0828	6311	5069	0	0	0.0552
15	Sitapur	NCC LIMITED	Mahmudabad	Sadarpur	Sadarpur	1	1	2	1186	5930	7649	9458	3.6294	0.3845	4.0139	4745	3838	0	0	0.0549
	TOTAL					15	25	80	15746	86539	109147	132160	60.1108	6.3677	66.4785			7		1.2391

DETAILS OF RE-ORGANISATION SCHEMES

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting: Cost (in Cr.)	Cost of Road Cutting: Percentage of distributi	Cost of Solar / Power Capacity	Type of Scheme Solar / Electricity
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	CHANDAULI	GA INFRA - BABA (JV)	CHAHANIYA	Awajapur	Awajapur	1	1	3	16	1	0.1827	320	40	0.0036	17896	2.1159	1.0528	49.76	0.0851	Electricity
2	CHANDAULI	GA INFRA - BABA (JV)	NIYAMATABAD	Katauri	Katauri	1	2	2	16	1	0.2007	600	40	0.0057	24667	2.9588	1.4408	48.69	0.0877	Electricity
3	CHANDAULI	GA INFRA - BABA (JV)	NIYAMATABAD	Larawa	Larawa	1	1	2	16	1	0.2001	410	40	0.0048	17014	1.9222	0.9604	49.96	0.0851	Electricity
4	CHANDAULI	GA INFRA - BABA (JV)	NIYAMATABAD	Mahawalpur	Mahawalpur	1	1	2	16	1	0.2007	500	40	0.0057	16645	2.3072	1.0203	44.22	0.0877	Electricity
5	CHANDAULI	GA INFRA - BABA (JV)	NIYAMATABAD	Niyamatabad	Niyamatabad	1	1	4	14/ 14	2	0.3533	740	80	0.0093	37266	5.1807	2.5869	49.93	0.1728	Electricity
6	Sitapur	NCC LIMITED	Mahmudabad	Mitaura	Mitaura	1	1	2	0	1	0.1761	680	35	0.0041	7559	0.9055	0.3663	40.45	0.1517	Solar
7	Sitapur	NCC LIMITED	Mahmudabad	Ghaila	Kedarpur	1	4	8	0	1	0.1810	1110	40	0.0067	15061	1.7043	0.7621	44.72	0.2427	Solar
8	Sitapur	NCC LIMITED	Pahla	Bhurkura	Bhurkura	1	2	6	16	1	0.1767	760	40	0.0046	10084	1.2506	0.5959	47.65	0.1821	Solar
9	Sitapur	NCC LIMITED	Biswan	Jahgirabad	Jahgirabad	1	1	10	0	1	0.1810	1170	40	0.0067	29503	4.0626	1.4384	35.41	0.0000	Electrical
10	Sitapur	NCC LIMITED	Pahla	Nyamatpur Laparha	Nyamatpur Laparha	1	2	6	0	1	0.1761	680	35	0.0041	9677	1.1910	0.5486	46.06	0.1517	Solar
11	Sitapur	NCC LIMITED	Pahla	Bajehra	Bajehra	1	2	10	0	1	0.1935	1350	40	0.0066	21056	1.9726	0.6026	30.55	0.3034	Solar
12	Sitapur	NCC LIMITED	Biswan	Biswan Dehat	Biswan Dehat	1	1	5	0	1	0.1653	580	40	0.0046	21305	2.1672	0.9161	42.27	0.0000	Electrical
13	Sitapur	NCC LIMITED	Machrehta	Paidapur	Paidapur	1	3	4	0	1	0.1588	530	35	0.0041	7431	0.8243	0.3203	38.86	0.1214	Solar
14	Sitapur	NCC LIMITED	Mahmudabad	Dharampur	Dharampur	1	2	14	0	1	0.1935	1210	40	0.0067	22213	2.2909	0.9727	42.46	0.3034	Solar
15	Sitapur	NCC LIMITED	Mahmudabad	Sadarpur	Sadarpur	1	1	2	0	1	0.1833	1270	35	0.0058	11936	1.5158	0.6124	40.40	0.3034	Solar
	TOTAL					15	25	80		16	2.9227		620	0.083	269313	32.3695	14.1965	651.39	2.2781	

- 6 -

एजेण्डा बिन्दु संख्या–2

जल जीवन मिशन कार्यक्रम (जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में पोस्ट मानसून तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्री मानसून परीक्षण कराये जाने हेतु जल नमूनों के एकत्रीकरण के लिए किराये पर वाहन लगाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक धनराशि रू० 2.69 करोड़ की कार्य योजना का प्रस्ताव।

प्रदेश में पेयजल नमूनों के परीक्षण हेतु 76 नग जल परीक्षण प्रयोगशालाओं का संचालन किया जा रहा है। जिनमें 01 राज्य स्तरीय प्रयोगशाला एवं 75 जनपद स्तरीय प्रयोगशालाये सम्मिलित है, जिनमें 53 प्रयोगशालाओं को NABL Accreditation प्राप्त हो चुका है, जबकि 23 प्रयोगशालाओं का NABL Accreditation की कार्यवाही प्रगति पर है। जिन्हें वित्तीय वर्ष 2023–24 में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित हैं।

समस्त प्रयोगशालाओं में आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्त किये गये कुशल कार्मिकों द्वारा जल नमूनों को वाहन द्वारा प्री एवं पोस्ट मानसून के लिए रसायनिक परीक्षण तथा जीवाणु परीक्षण नमूनो को एकत्रित किए जाने हेतु वांछित धनराशि का प्रस्ताव निम्नवत् प्रस्तुत है:–

Expenditure on Water Samples Collection for Laboratory testing *(Pre & Post-Monsoon)* Fy 2023-24

S.No.	Total No of Districts	Total Villages	Target of Sample Collection (Chemical+ Bacteria) *@ 06 samples (01 PWS+ 03 FHTC+ School+ Anganwadi) per Village in Pre & Post Mansoon*			Total Cost of Sample Collection @Rs 22.00 per sample *(Inclusive all taxes)*
			Pre-monsoon	Post-monsoon	Total	
1	75	96308	611570	611570	1223140	26909080.00

प्रस्ताव –जल जीवन मिशन कार्यक्रम (जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में पोस्ट मानसून तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्री मानसून परीक्षण कराये जाने हेतु जल नमूनों के एकत्रीकरण के लिए किराये पर वाहन लगाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक धनराशि रू० 2.69 करोड़ (रूपये दो करोड़ उनहत्तर लाख मात्र) की कार्य योजना का प्रस्ताव मा० समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– जल जीवन मिशन कार्यक्रम (जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में पोस्ट मानसून तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्री मानसून परीक्षण कराये जाने हेतु जल नमूनों के एकत्रीकरण के लिए किराये पर वाहन लगाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक धनराशि रू० 2.69 करोड़ (रूपये दो करोड़ उनहत्तर लाख मात्र) के प्रस्ताव पर मा० समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिये गये:–

1. **जल नमूनों के एकत्रीकरण के लिये किए जाने वाले भुगतान की प्रस्तावित राशि रू0 22.00 (रूपये बाईस मात्र) प्रति जल नमूना से अधिक किसी भी परिस्थिति में न हो।**
2. **जल नमूनों के एकत्रीकरण के संबंध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि, जल नमूने उन्हीं पाइप पेयजल योजनाओं के ग्रामों से लिये जाएं जिन योजनाओं की Geotagging जल जीवन मिशन की IMIS की बेवसाइट पर की गयी है।**

3- **ग्रामों से जल नमूनों के संग्रह के समय नमूना पर्ची पर संबंधित ग्राम के दो या तीन व्यक्तियों के हस्ताक्षर अवश्य प्राप्त कर लिये जाएं।**

4. **समस्त पाईप पेयजल योजनाओं के स्रोतों की Geotagging के कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लिये जाएं।**

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

प्रधान कार्यालय 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ – 226001

पत्रांक : 1627/011- प्रयोगशाला /23 दिनांक : 28/10/23

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

विषय-- राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक हेतु जल जीवन मिशन कार्यक्रम (जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय होने वाले धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 12.09.2023 को सम्पन्न SLSSC की बैठक का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जल गुणवत्ता अनुश्रवण हेतु समस्त जनपदों (कुल 75) में संचालित 75 नग जल परीक्षण प्रयोशालाओं में परीक्षण किये जाने वाले जल नमूनों को ग्रामीण क्षेत्रों से एकत्रीकरण हेतु धनराशि रू० 369.53 लाख के प्रस्तुत प्रस्ताव को पुनः आंकलन कर आगामी SLSSC में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। अवगत कराना है कि चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक 31.10.2023 (दिन--मंगलवार) को राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक किया जाना प्रस्तावित है।

अतः दिनांक 31.10.2023 (दिन–मंगलवार) को प्रस्तावित आगामी SLSSC की बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में समस्त जनपदों (कुल 75) में संचालित क्षेत्रीय/जनपदीय 75 नग जल परीक्षण प्रयोशालाओं में परीक्षण किये जाने वाले जल नमूनों के ग्रामीण क्षेत्रों से एकत्रीकरण हेतु निम्नलिखित कुल धनराशि रू० 2,69,09,080.00 की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही सादर प्रेषित है। विवरण निम्नलिखित है–

Expenditure on Water Samples Collection for Laboratory testing *(Pre & Post-Monsoon)*						Fy 2023-24
S.No.	Total No of Districts	Total Villages	Target of Sample Collection (Chemical+ Bacteria) *@ 06 samples (01 PWS+ 03 FHTC+ School+ Anganwadi) per Village in Pre & Post Monsoon*			Total Cost of Sample Collection @Rs 22.00 per sample *(Inclusive all taxes)*
			Pre-monsoon	Post-monsoon	Total	
1	75	96,308	6,11,570	6,11,570	12,23,140	2,69,09,080.00

जनपदवार विवरण इस पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(राज कुमार शर्मा)
मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. वित्त निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (ग्रामीण), मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता (प्रयोगशाला प्रभारी), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)।
7. संयुक्त निदेशक, सामुदायिक सहभागिता इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)

Expenditure on Water Samples Collection for Laboratory testing *(Post 2024-25 & Pre-Monsoon 2023-24)*

S.No.	District	Total Villages	Target of Sample Collection (Chemical+ Bacteria) *@ 06 samples (01 PWS+ 03 FHTC+ School+ Anganwadi) per Village in Pre & Post Mansoon*			Total Cost of Sample Collection @Rs 22.00* per sample *(inclusive all taxes)*
			Pre-monsoon	Post-monsoon	Total	
1	2	3	4	5	6	7
1	AGRA	904	11607	11607	23214	510708.00
2	ALIGARH	1125	10819	10819	21638	476036.00
3	AMBEDKAR NAGAR	1599	10310	10310	20620	453640.00
4	AMETHI	981	8220	8220	16440	361680.00
5	AMROHA	952	5232	5232	10464	230208.00
6	AURAIYA	769	6299	6299	12598	277156.00
7	AYODHYA	1185	8228	8228	16456	362032.00
8	AZAMGARH	3818	21663	21663	43326	953172.00
9	BAGHPAT	274	2642	2642	5284	116248.00
10	BAHRAICH	1351	10751	10751	21502	473044.00
11	BALLIA	1803	11445	11445	22890	503580.00
12	BALRAMPUR	995	7623	7623	15246	335412.00
13	BANDA	653	5965	5965	11930	262460.00
14	BARABANKI	1775	12443	12443	24886	547492.00
15	BAREILLY	1850	10862	10862	21724	477928.00
16	BASTI	3076	14536	14536	29072	639584.00
17	BIJNOR	2189	12008	12008	24016	528352.00
18	BUDAUN	1472	10386	10386	20772	456984.00
19	BULANDSHAHR	1157	10219	10219	20438	449636.00
20	CHANDAULI	1483	7711	7711	15422	339284.00
21	CHITRAKOOT	563	3840	3840	7680	168960.00
22	DEORIA	2025	11977	11977	23954	526988.00
23	ETAH	848	6651	6651	13302	292644.00
24	ETAWAH	683	5359	5359	10718	235796.00
25	FARRUKHABAD	838	5531	5531	11062	243364.00
26	FATEHPUR	1345	9490	9490	18980	417560.00
27	FIROZABAD	777	7044	7044	14088	309936.00
28	G.B. NAGAR	96	839	839	1678	36916.00
29	GHAZIABAD	171	1877	1877	3754	82588.00
30	GHAZIPUR	2745	14351	14351	28702	631444.00
31	GONDA	1816	11176	11176	22352	491744.00
32	GORAKHPUR	2851	14220	14220	28440	625680.00
33	HAMIRPUR	466	3786	3786	7572	166584.00
34	HAPUR	311	2590	2590	5180	113960.00
35	HARDOI	1902	12452	12452	24904	547888.00
36	Hathras	648	4161	4161	8322	183084.00
37	JALAUN	921	6012	6012	12024	264528.00
38	JAUNPUR	3195	16534	16534	33068	727496.00
39	JHANSI	737	4921	4921	9842	216524.00
40	KANNAUJ	685	4992	4992	9984	219648.00
41	KANPUR DEHAT	920	5351	5351	10702	235444.00
42	KANPUR NAGAR	902	6335	6335	12670	278740.00
43	KASGANJ	651	4975	4975	9950	218900.00
44	KAUSHAMBI	675	4520	4520	9040	198880.00
45	KUSHI NAGAR	1412	9356	9356	18712	411664.00
46	LAKHIMPUR KHERI	1690	11246	11246	22492	494824.00
47	LALITPUR	682	4018	4018	8036	176792.00
48	LUCKNOW	699	5013	5013	10026	220572.00
49	MAHARAJGANJ	1210	8927	8927	17854	392788.00
50	MAHOBA	434	3286	3286	6572	144584.00
51	MAINPURI	810	5277	5277	10554	232188.00
52	MATHURA	674	5066	5066	10132	222904.00
53	MAU	1451	7837	7837	15674	344828.00
54	MEERUT	582	4810	4810	9620	211640.00
55	MIRZAPUR	1847	9383	9383	18766	412852.00
56	MORADABAD	1005	6257	6257	12514	275308.00
57	MUZAFFARNAGAR	676	5432	5432	10864	239008.00
58	PILIBHIT	1273	7049	7049	14098	310156.00

S.No.	District	Total Villages	Target of Sample Collection (Chemical+ Bacteria) @ 06 samples (01 PWS+ 03 FHTC+ School+ Anganwadi) per Village in Pre & Post Monsoon			Total Cost of Sample Collection @Rs 22.00* per sample (Inclusive all taxes)
			Pre-monsoon	Post-monsoon	Total	
1	2	3	4	5	6	7
59	PRATAPGARH	2094	11721	11721	23442	515724.00
60	PRAYAGRAJ	2690	18898	18898	37796	831512.00
61	RAE BARELI	1563	9522	9522	19044	418968.00
62	RAMPUR	1149	6621	6621	13242	291324.00
63	SAHARANPUR	1234	8392	8392	16784	369248.00
64	SAMBHAL	896	5588	5588	11176	245872.00
65	SANT KABEER NAGAR	1500	7001	7001	14002	308044.00
66	SANT RAVIDAS NAGAR	1059	5204	5204	10408	228976.00
67	SHAHJAHANPUR	2073	10892	10892	21784	479248.00
68	SHAMLI	292	2483	2483	4966	109252.00
69	SHRAVASTI	497	3513	3513	7026	154572.00
70	SIDDHARTH NAGAR	2364	12029	12029	24058	529276.00
71	SITAPUR	2304	13700	13700	27400	602800.00
72	SONBHADRA	1368	8478	8478	16956	373032.00
73	SULTANPUR	1697	9081	9081	18162	399564.00
74	UNNAO	1679	9814	9814	19628	431816.00
75	VARANASI	1222	7723	7723	15446	339812.00
	Total	96,308	6,11,570	6,11,570	12,23,140	2,69,09,080.00

1. Water Samples shall be collected by using a four-wheeler Vehicle. It is assumed that the vehicle shall travel approximately 170 km per day** ***(100 km from lab to village and 70 km in between the 14 villages approximately) **to collect a minimum 90 samples in 14 Villages. This vehicle shall travel approximately 5000 km (170*30=5100 approx. 5000 km) per month for 03 months in Pre-monsoon and 03 months in Post-monsoon total of 6 months in a year. The Sampling Vehicle cost is approximately Rs 12.00/Km. The vehicle cost for 6 months in 75 dist is Rs 2,70,00,000.00 (5000*12.00*6*75=Rs 2,70,00,000.00). By using this amount of Rs 270.00 Lakh total of 12,23,140 water samples shall be collected @ Rs 22.00 per sample.**

***2. Details of Collected samples shall be submitted in Annex -1. It is attached to this sheet.**

20/10/2023
(कुमार)
राज्य स्तरीय ... एवं ...
उ०प्र० जल निगम ..., लखनऊ

20/10/2023
(डॉ० संदीप कुमार सिंह,
सहा० शोध अधिकारी

Sample Collection Format Annex-1

S.No.	Sample ID *(Received from WQMIS Portal)*	Water Source *(PWS/FHTC)*	Village	Habitation	Beneficiary detail			Sample Details					Lab Use Only		
					Name	Mobile No.	Signature	Date and Time of sample collection	Non Acidified sample Vol.	Acidified sample vol.	Sterilized sample vol.	Residual chlorine *(Present/ absent)*	Sample condition *(Satisfactory/Unsatisfactory)*	Sample code	Remark

District- *Block-* *Gram Panchyat-*

Sample Collector

Laboratory sample receiving Incharge

22/10/2023
(डॉ० संदीप कुमार सिंह)

20/10/2023
(मनोज कुमार)
सहायक शोध अधिकारी
राज्य स्तरीय जल विश्लेषण प्रयोगशाला एवं शोध
उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण, लखनऊ

No. W-11016/11/2021-JJM.IV-DDWS
Government of India
Ministry of Jal Shakti
Department of Drinking Water & Sanitation
National Jal Jeevan Mission

'Antyodaya' Bhavan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi - 110 003
Date: 20th November, 2023

To,

The Principal Secretary,
Namami Gange & Rural Water Supply Department,
Government of Uttar Pradesh,
Lucknow, UP.

Subject: Observations of the National Jal Jeevan Mission, DDWS on the agenda items discussed in the 44th meeting of the SLSSC, UP – regarding.

Sir,

I am directed to enclose the analysis and observations of this department on the Agenda items of the 44th SLSSC meeting held on 31st October, 2023, at **Annex.**

3. It is requested that the annexed observations of NJJM, DDWS may kindly be considered before finalization of minutes.

Encl: As Above.

Yours faithfully,

20/11/23

(Manoj Kumar Jha)
Under Secretary to the Govt. of India
e-mail: manojkumar.jha@nic.in

Annex

Revised observations of NJJM, DDWS on the Agenda note of 44th SLSSC meeting of Uttar Pradesh held on 31.10.2023

The instant SLSSC proposal comprises of two agenda points. The observations against both of themes are as below:

Agenda-1:

Under this agenda point, 19 schemes covering 19 GPs(GPs), 29 villages & 17,493 HHs are proposed which includes 3 new schemes & 16 re-organization schemes.

On analyzing the data of proposed schemes with respect to IMIS data, it is observed that:

1. In 5 out of 19 schemes, name of GPs mentioned in the list of proposed schemes is not found in IMIS.
2. In remaining 14 schemes planned for as many GPs, IMIS shows that there are total 10,497 HHs available in all 14 GPs, out of which 9,583 HHs already have tap connections. While, total HHs proposed in these GPs is 13,777, which is 31% more than the total HHs available in these villages as per IMIS.
3. In 5 out of 14 schemes where GPs are already HGJ, provision for tap connections is made for all the HHs.
4. In 8 out of 19 schemes, there is already one or more ongoing schemes in the GP, still proposal for re-organization of these schemes has been made.
5. In Chachura GP of Jewar block in GB Nagar district, a new scheme is proposed for 333 HHs while as per IMIS this village only have 164 HHs with 160 HHs having tap connections. Moreover, in this village an investment of 1.76 Crores has already been made in 2022-23 and scheme is still ongoing.
6. A typical example of village-Jahgirabad in Biswan block of Sitapur district, 1,061 HHs out of total 1,364 HHs in the GP already have tap connections as per IMIS. But a re-organization scheme is proposed for 2,666 HHs at a cost of 4.75 Crores for this GP.

State may therefore, re-examine these schemes in the light of above observations to avoid duplicity & extra investment. Also, since schemes have already been approved under JJM for these villages/GPs, new schemes may not be taken up.

Agenda-2:

Under this agenda point, it is proposed to hire vehicles to collect water samples from all the 96,308 villages in the State for pre & post monsoon water quality testing. Six samples are proposed to be collected from all 96,308 villages. A four wheeler is proposed to collect water samples will travel approximately 170 Kms to collect 90 samples in 14 villages. This vehicle will run 5000 Kms every month (170x30=5100Kms). It will run 3 months for pre-monsoon sampling & 3 months for post monsoon sampling. The four wheeler vehicle cost is taken as Rs. 12/- per Kms. The total cost to cover all the villages in UP for Pre & Post monsoon sampling would be Rs.2.69 Crores. Using this amount for nearly 12,23,140 samples, rate of each sample has been calculated as Rs.22/-. The state may ensure that the requisite records are kept for verification of the work done. Signatures of 2-3 villagers may be taken on the sample collection form/slip etc. for future verification on whether the samples are indeed collected from all the villages. Sampling costs shall only be supported for the PWS sources that are geotagged on the IMIS. The work of geotagging of PWS sources may be completed as soon as possible.

Payment is proposed to be made for vehicles in terms of Kms travelled.

प्रेषक,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
गौतमबुद्धनगर।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
किसान बाजार, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ–226010

पत्रांक 232 / कार्य-74 / 232 दिनांक:- 04-12-2023

विषयः– **जल जीवन मिशन हर–घर जल कार्यक्रम के अन्तर्गत 04 पाइप पेयजल योजनाओं को राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की 44 वीं बैठक में सम्मिलित किये जाने के संबध मे।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक–3608 / W-335 / Tech/JJM/SLSSC-44th/2023-24 (दि०-23/11/2023) के द्वारा अनुसचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार, अंत्योदय भवन, सी0जी0ओ0 कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली के पत्र सं0–W-11016 / 11 / 2021–JJM.IV-DDWS दिनांक 20.11.2023 के माध्यम से 44वीं SLSSC के संबध में प्रेषित Observation की आख्या मांगी गई है। आपके उपरोक्त पत्र के संबध में अवगत कराना है कि जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गौतमबुद्धनगर की दिनांक 26.09.2023 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय उपरान्त कुल 04 नग ग्रामों (1. आलमपुर लाथला उर्फ लोदोना 2. अलावलपुर 3. सलारपुर 4. चचूरा) की पाइप पेयजल योजनाओं को अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 183 / कार्य–74 / 183 दिनांक 26.09.2023 (संलग्नक–1) के द्वारा को आपको स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था। उक्त 04 नग योजनाओं एवं उक्त योजनाओं में सम्मिलित ग्राम पंचायतों / ग्रामों के संबध में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, भारत सरकार द्वारा प्रेषित Observation की आख्या निम्नानुसार है

1- In 5 Out of 19 schemes, name of GPs mentioned in the list of proposed schemes is not found in IMIS.

जनपद गौतमबुद्धनगर की कुल 04 नग योजनाए स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई थी। उक्त योजनाओं एवं उनमें सम्मिलित ग्रामों का विवरण निम्नानुसार है–

S.No	Name of Scheme	Gram Panchayat	Villages Included in Scheme	Village IMIS ID	Remark
1	Salarpur Kalan Village water Scheme	Salarpur Kalan	Salarpur Kalan	392859	Scheme Previously not Sentioned in any SLSSC
2	Alawalpur Village water supply Scheme	Sadullapur Urf Madlepur	Alawalpur	393073	Scheme Previously not Sentioned in any SLSSC
3	Chachura Village water supply Scheme	Chachura	Chachura	392993	Scheme Previously not Sentioned in any SLSSC
4	Alampur Lathla urf Lodona Village water supply Scheme	Alampur Lathla urf Lodona	Alampur Lathla urf Lodona	393076	Scheme Previously not Sentioned in any SLSSC

उपरोक्त 04 नग योजनाओं में सम्मिलित समस्त 04 नग ग्राम पंचायत एवं समस्त 04 नग ग्राम IMIS Portal पर उपलब्ध है। उक्त ग्रामों की Village IMIS ID भी उपरोक्त टेबल में अकिंत कर दियें गये हैं।

	In remaining 14 schemes planned for as many GPs, IMIS shaows that there are total 10,497 HHs available in all 14 GPS, out of which 9,583 HHs already have tap connections. While, total HHs proposed in these Gps is 13,777, Which is 31% more than the total HHs available in these villages as per IMIS.	जनपद गौतमबुद्धनगर की प्रेषित 04 नग योजनाओ में हाउसहोल्ड आगणन में पूर्व की वर्षो की जनसंख्या एवं हाउसहोल्ड के आधार पर विभिन्न Method के अनुसार आंकलित किये गये है। इसी कारण से IMIS एवं DPR के हाउसहोल्ड मे भिन्नता है। यह भी अवगत कराना है कि IMIS पर हाउसहोल्ड का डाटा पूर्व वित्तीय वर्ष का है जिस कारण IMIS पर हाउसहोल्ड के डाटा एवं DPR के हाउसहोल्ड के डाटा में भिन्नता है।
3-	In 5 out of 14 schemes where Gps are already HGJ, provision for tap connections is made for all the HHs.	जनपद गौतमबुद्धनगर की प्रेषित 04 नग योजनाओं में सम्मिलित 04 नग ग्रामों/ग्राम पंचायतो में से कोई भी ग्राम/ग्राम पंचायत Har Ghar Jal (HGJ) नहीं है।
4-	In 8 out of 19 schemes, there is already one or more ongoing schemes in the GP, still proposal for re-organization of these schemes has been made.	जनपद गौतमबुद्धनगर की प्रेषित 04 नग योजनाओं में से कोई भी योजना **Re-organization** की योजना प्रस्तावित नहीं है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर से सम्बन्धित नहीं है।
5-	In Chachura GP of Jewar block in Gb Nagar district, a new schemes is proposed for 333 HHs while as per IMIS this village only have 164 HHs with 160 Hhs having tap connection. Moreover, in this village an investment of 1.76 crores has already been made in 2022-23 and schemes is still ongoing.	जनपद गौतमबुद्धनगर की चचूरा ग्राम पंचायत में कुल 02 राजस्व ग्राम 1. Chachura, IMIS Vill ID – 392993 एवं 2. Changauli, IMIS Vill ID – 392981 सम्मिलित है। चांगौली ग्राम की पाईप पेयजल योजना पूर्व से SLSSC से स्वीकृत है जिसकी स्वीकृत लागत रू0 1.76 करोड है। वर्तमान में ग्राम पंचायत चचूरा के राजस्व ग्राम की पाईप पेयजल योजना स्वीकृती हेतु प्रेषित की गई है।
6-	A typical example of Village-Jahgirabad in Biswan block of Sitapur district, 1,061 HHs out of total 1,364 HHs in the GP already have tap connection as per IMIS. But a re-organization schemes is proposed for 2,666 HHs at a cost of 4.75 crores for this GP.	यह बिन्दु जनपद गौतमबुद्धनगर से सम्बन्धित नहीं है।

उपरोक्त विवरण के अनुसार जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की दिनांक 26.09.2023 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित उपरोक्त 04 नग योजनाओं में सम्मिलित समस्त 04 ग्राम (1. Salarpur Kalan, IMIS Vill ID -392859, 2. Alawalpur, IMIS Vill ID-393073, 3. Chachura , IMIS Vill ID –392993, 4. Alampur Lathla urf Lodona, IMIS Vill ID –393076) IMIS Portal पर उपलब्ध है।

अतः उपरोक्त आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार

भवदीय

04/10/23

(मनीष कुमार वर्मा)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गौतमबुद्धनगर।

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसारः–
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. मुख्य अभियंता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. मुख्य अभियंता (मेरठ क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
4. अधिशासी अभियंता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गौतमबुद्धनगर।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद—चन्दौली

पत्रांक 4681 / जल जीवन मिशन / 605 दिनांक 16.11.23

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे एवं जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषयः— जल जीवन मिशन हर घर जल कार्यक्रम के अन्तर्गत 05 Re-Organisation की पाइप पेयजल योजनाओं को राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की 44वीं बैठक में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 3467/W-335/Tech/JJM/SLSSC-44th/2023-24 दिनांक 08.11.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा क्रमशः आयाजापुर, कठौरी, लेढुआ, महायलपुर व नियामताबाद कुल 05 योजनाओ को पुनः Re-Organisation के अन्तर्गत स्वीकृत कराने का औचित्य स्पष्ट करने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त संदर्भित योजनाओं का Re-Organisation के अन्तर्गत स्वीकृत कराने का औचित्य योजनावार निम्नवत् है।

क्र सं	योजना का नाम	योजना के पुनर्गठन का औचित्य
1	आयाजापुर पाइप पेयजल योजना विकास खण्ड— धानापुर जनपद— चन्दौली	• निर्माण वर्ष 1987—88 • योजना अपना जीवन काल पूर्ण कर चुकी है। • जीवनकाल पूर्ण हो जाने, पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने एवं जनसंख्या वृद्धि होने के कारण पुनः डिजाइन की आवश्यकता के कारण पुनर्गठन कराना आवश्यक हो गया है। • इस पेयजल योजना का निर्माण 40 LPCD (स्टैण्ड पोस्ट) वाटर डिमाण्ड की बनायी गयी थी, परन्तु जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वॉटर डिमाण्ड 55 LPCD निर्धारित है। अतः उपर्युक्त के दृष्टिगत योजना का पुनर्गठन करना आवश्यक हो गया है। • पाइप लाइन के टेल तक पानी प्रेशर से नही पहुच पाता है क्योकि पाइप लाइन पुरानी होने के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है। • उक्त के अतिरिक्त ग्रामवासियों व जनप्रतिनिधियो द्वारा भी उक्त योजना से पूर्ण रुप से जलापूर्ति न होने की बार—बार शिकायतें की जा रही है।
2	कठौरी पाइप पेयजल योजना विकास खण्ड— नियामताबाद जनपद— चन्दौली	• मेंहदापुर पेयजल योजना में कठौरी ग्राम पंचायत सम्मिलित थी, जिसका जलकल परिसर कठौरी ग्राम में स्थित है। • निर्माण वर्ष 1983—84 • 02 नग नलकूप स्कीम में बनाये गये थे जिसमें से 01 नग नलकूप फेल हो गया था। • इस पेयजल योजना का निर्माण 40 LPCD (स्टैण्ड पोस्ट) वाटर डिमाण्ड की बनायी गयी थी, परन्तु जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वॉटर डिमाण्ड 55 LPCD निर्धारित है। अतः उपर्युक्त के दृष्टिगत योजना का पुनर्गठन करना आवश्यक हो गया है। • योजना के निर्माण वर्ष 1983—84 में पाइप लाइन से सम्बन्धित कराये गये कार्य गलियों में 40 एम0एम0, 50 एम0एम0 की पाइप लाइन ज्यादा बिछायी गयी थी जिसके कारण हर घर को पर्याप्त प्रेशर से पानी नहीं मिल पा रहा है। • योजना अपना जीवन काल पूर्ण कर चुकी है। इसलिए अधिकतर मेन पाइप जो कि ए0सी0 पाइप 250 एम0एम0, 200 एम0एम0, 150 एम0एम0, 125 एम0एम0 है। जो बार बार क्षतिग्रस्त हो जा रही है। • उक्त के अतिरिक्त ग्रामवासियों व जनप्रतिनिधियों द्वारा भी उक्त योजना से पूर्ण रुप से जलापूर्ति न होने की बार—बार शिकायतें की जा रही है।
3	लेढुआ पाइप पेयजल योजना विकास खण्ड— नियामताबाद जनपद— चन्दौली	• मलोखर पेयजल योजना में लेढुआ ग्राम पंचायत सम्मिलित थी, जिसका जलकल परिसर लेढुआ ग्राम में स्थित है। • निर्माण वर्ष 2010 है। • निर्माण के समय योजना में कुल 04 नग ग्राम पंचायत सम्मिलित है। • लेढुआ ग्राम पंचायत नगर पालिका परिषद पं0दी0द0उ0 नगर के पास स्थित होने के कारण बसावटों मे अत्यधिक वृद्धि हो गयी है। रेट्रोफिटिंग मे पाइप लाइन विस्तार होने के कारण घरों तक/टेल तक पानी पर्याप्त प्रेशर से नहीं पहुँच पाता है।

Scanned with OKEN Scanner

		• अतः योजना को रि–डिजाईन की आवश्यकता के दृष्टिगत पुनर्गठन करने की आवश्यकता हो गयी है। • उक्त के अतिरिक्त ग्रामवासियों व जनप्रतिनिधियो द्वारा भी उक्त योजना से पूर्ण रुप से जलापूर्ति न होने की बार–बार शिकायतें की जा रही है।
4	नियामताबाद पाइप पेयजल योजना विकास खण्ड– नियाताबाद जनपद– चन्दौली	• निर्माण वर्ष 1980–81 • योजना अपना जीवन काल पूर्ण कर चुकी है। • इस पेयजल योजना का निर्माण 40 LPCD (स्टैण्ड पोस्ट) वाटर डिमाण्ड की बनायी गयी थी, परन्तु जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वॉटर डिमाण्ड 55 LPCD निर्धारित है। अतः उपर्युक्त के दृष्टिगत योजना का पुनर्गठन करना आवश्यक हो गया है। • नियामताबाद ग्राम पंचायत में कुल 01 नग राजस्व ग्राम व 04 नग बस्तियाँ सम्मिलित हैं क्रमशः नियामताबाद, लाखापुर, नदेसर एवं सिरसी। • सभी बस्तियों/मझरे एक दूसरे से 01–02 किमी0 की दूरी पर बसे है एवं आपस में उच्चता भी भिन्न–भिन्न हैं। जिसके कारण पानी सभी मजरों में नहीं पहुँच पाता है। • योजना का जीवन काल पूर्ण हो जाने के कारण बिछाई गयी पाइप लाइन बार बार क्षतिग्रस्त हो रही है एवं जलापूर्ति प्रभावित हो रही है। • रेट्रोफिटिंग के अन्तर्गत पाइप लाइन विस्तार एवं गृह जल संयोजन का कार्य प्रस्तावित था जिन गलियों में पुरानी पाइप क्षतिग्रस्त थी उसको बदलकर नयी पाइप लाइन बिछाया गया एवं नयी साइटों मे पाइप लाइन डाली गयी थी परन्तु सभी मजारों में पानी पर्याप्त प्रेशर से नही पहुँच पाता है। अतः नये सिरे से वितरण प्रणाली की डिजाइन कराना अनिवार्य हो गया है। • उक्त के अतिरिक्त ग्रामवासियों व जनप्रतिनिधियो द्वारा भी उक्त योजना से पूर्ण रुप से जलापूर्ति न होने की बार–बार शिकायतें की जा रही है।
5	महावलपुर पाइप पेयजल योजना विकास खण्ड– नियामताबाद जनपद– चन्दौली	• व्यासनगर पेयजल योजना में महावलपुर ग्राम पंचायत सम्मिलित थी, जिसका जलकल परिसर महावलपुर ग्राम में स्थित है। • निर्माण वर्ष 1987–88 • इस पेयजल योजना का निर्माण 40 LPCD (स्टैण्ड पोस्ट) वाटर डिमाण्ड की बनायी गयी थी, परन्तु जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वॉटर डिमाण्ड 55 LPCD निर्धारित है। अतः उपर्युक्त के दृष्टिगत योजना का पुनर्गठन करना आवश्यक हो गया है। • ग्राम पंचायत महावलपुर, नगर पालिका परिषद पं0दी0द0उ0 नगर से सटा हुआ है विगत वर्षो में ग्रामों में बहुत तीव्र गति से (जनसंख्या/बसावट में) वृद्धि हुयी है जिसके कारण योजना का पुनर्गठन करना आवश्यक हो गया है। • योजना निर्माण के समय 02 नग नलकूप बनाये गये थे, परन्तु बीच से रेलवे लाइन बिछ जाने के कारण मात्र 01 नग नलकूप से 1000 के0एल0 की टंकी भरी जाती थी इस कारण रेट्रोफिटिंग मे नलकूप लिया गया था। • योजना के निर्माण के समय ए0सी0 पाइप 300 एम0एम0, 250 एम0एम0, 200 एम0एम0, 150 एम0एम0 एवं 125 एम0एम0 साइज की बिछायी गयी थी जो अब जर्जर हो चुका है। जिसके कारण पाइप लाइन को बदलने की आवश्यकता है। • योजना अपना जीवन काल पूर्ण कर चुकी है जिसके कारण नये सिरे से रि–डिजाइन की आवश्यकता को देखते हुये पुनर्गठन योजना बनाने की आवश्यकता है। • उक्त के अतिरिक्त ग्रामवासियों व जनप्रतिनिधियो द्वारा भी उक्त योजना से पूर्ण रुप से जलापूर्ति न होने की बार–बार शिकायतें की जा रही है।

अतः तद्नुसार Re-Organisation के अन्तर्गत स्वीकृत कराने का औचित्य स्पष्ट करते हुये आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

भवदीय,

(निखिल टी0 फूंडे)
जिलाधिकारी

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), उ0प्र0 लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता(वारा0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
5. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।

जिलाधिकारी

Scanned with OKEN Scanne

प्रेषक,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
जनपद–सीतापुर।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

पत्रांकः– 2808 / W-S-5 / 78 दिनांक 02/12/2023

विषयः– जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद सीतापुर के 10 नग पुर्नगठन पाइप पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक संख्या 3468 / W-355/Tech/JJM/SLSSC-44th/2023-24 दिनांक 06.11.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के द्वारा पूर्व से बनी 10 नग पाइप पेयजल योजनाओं को पुर्नगठन में सम्मिलित किये जाने हेतु औचित्य चाहा गया था उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इन सभी 10 पेयजल योजनाओं को पुनः जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जिसमें अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) द्वारा सम्बन्धित जूनियर इंजीनियरों एवं सहायक अभियन्ता से पत्र में वर्णित सभी योजनाओं का सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षण में बताया गया कि पूर्व में बनी 10 नग पेयजल योजनाओं में अधिकांश गृह संयोजन टूट चुके है तथा पाइप लाइन डैमेज हो चुकी है यदि योजनाओं को पुर्नगठन में नहीं लिया जाता तो हर घर जल किया जाना एवं सभी ग्राम वासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है जिस कारण से पूर्व में बनी 10 नग पेयजल योजनाओं में पुर्नगठन के प्राक्कलन तैयार कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति से स्वीकृति उपरान्त राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित किया गया था। यहां यह भी अवगत कराना है कि 10 नग पेयजल योजनाओं को रेट्रोफिटिंग में सम्मिलित नहीं है।

अतः पत्र में वर्णित सभी 10 नग पेयजल योजनाओं को पुर्नगठन में लेने हेतु बैठक में समिति द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार औचित्य सादर प्रेषित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(अनुज सिंह)
जिलाधिकारी
सीतापुर

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), 6 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, 6 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर।
4. अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) सीतापुर।

जिलाधिकारी
सीतापुर

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

प्रधान कार्यालयः 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ – 226001

पत्रांक : 317 / 011 – SFC / 2023 दिनांक : 30 / 10 / 2023

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) की अध्यक्षता में दिनॉक 30–10–2023 को सोर्स फाइडिंग कमेटी की सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के पत्र संख्या 635/W-335/Tech/SFC/2020-21 दिनॉक 01–09–2020 द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं के स्रोत के स्थायित्व के सम्बन्ध में "सोर्स फाइडिंग कमेटी" का गठन किया गया। इस कार्यालय के पत्र संख्या 1620/011 –SFC/2023 दिनॉक 26–10–2023 द्वारा मुख्य अभियंता (ग्रामीण) की अध्यक्षता में विभिन्न परियोजनाओ के सोर्स के परीक्षण हेतु दिनांक 30–10–2023 को बैठक आहूत की गई।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिये गये:–

एस.एल.एस.एस.सी. की सम्पन्न होने वाली बैठक में बुन्देलखण्ड एवं विंध्याचल के जनपदो को छोडकर 03 जनपदों के 19 नग पाइप पेयजल योजना प्रस्तावित की जा रही है, जिसमें 29 ग्राम सम्मिलित है, जिससे 84 मजरे शुद्ध पेयजल से संतृप्त किये जायेंगे। उक्त योजना में 20 नग नलकूप प्रस्तावित किये गये है। समस्त योजनाओं की अनुमानित लागत रु० 7748.00 लाख है। समिति के समक्ष उक्त समस्त योजनाओ का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा मत व्यक्त किया गया कि उपरोक्त योजनायें मुख्य रूप से ऐसे जनपदो से संबंधित है जहॉं कि Alluvial Strata पाया जाता है। इन जनपदो में स्टेटा की जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। वर्तमान में ऐसे क्षेत्रो में निर्मित नलकूपो से पर्याप्त 750 एल.पी.एम. से 2000 एल.पी.एम. का श्राव पाया जाता है। अतः इन योजनाओ में बनाये जाने वाले नलकूप से पर्याप्त मात्रा में डिजाइन अवधि तक श्राव उपलब्ध होने की पूर्ण सम्भावना है। इसके दृष्टिगत समिति द्वारा उपरोक्त योजनाओ को स्रोत के स्थायित्व की दृष्टि से उपयुक्त पाया गया।

समिति द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया कि Resistivity Survey कराने के उपरान्त ही बोरिंग का कार्य कराया जाये तथा अधिक से अधिक Rain Water Harvesting बनाये जाये।

उक्त प्रस्तावों के साथ समस्त योजनाओ की स्वीकृति प्रदान की गई।

(राज कुमार शर्मा)
मुख्य अभियंता (ग्रामीण)

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. मुख्य अभियंता (वि०/यॉ०), उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
4. समस्त मुख्य अभियंता (क्षेत्रीय), उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)।
5. मुख्य अभियंता (अनुसंधान एवं नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. निदेशक, रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. विभागध्यक्ष सिविल अभियान्त्रिकी विभाग, आई०आई०टी०, लखनऊ।

मुख्य अभियंता (ग्रामीण)

हर घर जल
जल जीवन मिशन

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
किसान बाजार, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ–226010

318

पत्रांक: 4209 /W-22(NJJM DPR Observation)/2022-23 दिनांक: 12 जनवरी, 2023

सेवा में,

समस्त कॉन्ट्रेक्टर
जल जीवन मिशन,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ0प्र0।

विषयः– जल जीवन मिशन अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं हेतु विरचित की गयी डी0पी0आर0 की राष्ट्रीय जल जीवन मिशन एवं राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन टीम द्वारा की गयी स्थलीय निरीक्षण में परिलक्षित कमियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि दिनांक 08.12.2022 को प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी एस0एल0एस0एस0सी0 की 26वी0 बैठक में दिये गए निर्देशों के क्रम में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन एवं राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 19.12.2022 से दिनांक 23.12.2022 तक विभिन्न जनपदों में ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण में टीम द्वारा परिलक्षित कमियों का विवरण निम्नवत है:–

1. कतिपय योजनाओं के डी0पी0आर0 में ट्यूबबेल की Depth ज्यादा ली जा रही है। जिसे केन्द्रीय भूजल बोर्ड के रिपोर्ट, तकनीकी विश्लेषण के आधार पर लिया जाना चाहिए।
2. वितरण प्रणाली में अनावश्यक रूप से कुछ स्थानों पर Trench Width अधिक रखी गयी है जिसे सी0पी0एच0ई0ई0ओ0 Manual के अनुरूप लिया जाना चाहिए।
3. झोपड़ी/कमरा जो गॉव के बाहर है एवं जिस सड़क पर कोई आबादी नहीं है, हेतु भी पाइप लाइनें प्रस्तावित की जा रही है उक्त हेतु जे0जे0एम0 गाइड लाइन में निम्न व्यवस्था दी गयी है:–

   बस्ती– न्यूनतम 20 घरों और/या 100 व्यक्तियों का समूह। तथापि, इससे कम संख्या वाले पहाड़ी/आदिवासी और वन क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल बसावटों को भी इसमें शामिल किया जाना है। गांवों/बस्तियों से दूर एकल घरों/फार्म हाउसों के लिए एफ0एच0टी0सी0 प्रदान करने के लिए वित्तपोषण जे0जे0एम0 के तहत नहीं किया जाएगा।

4. ऐसी ग्राम पंचायत पेयजल योजना जिसमें दो या दो से अधिक गॉव/मजरे प्रस्तावित है, हेतु ओ0एच0टी0 यथा सम्भव गॉवों के मध्य में होना चाहिए।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि टीम द्वारा स्थलीय निरीक्षण के दौरान दी गयी उक्त Observation के आलोक में डी0पी0आर0 को जल जीवन मिशन के दिशा निर्देश के अनुरूप मित्तव्ययी एवं तकनीकी रूप से ग्राह्य विरचित किया जाए, तथा पूर्व में स्वीकृत योजनाओं में भी यदि कोई ऐसी स्थिति आती है तो निर्माण के पूर्व डी0पी0आर0 में संशोधन करते हुए निर्माण कार्य कराया जाए।

भवदीय,

/

(प्रिय रंजन कुमार)
अधिशासी निदेशक

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)।
3. यूनिट कोऑडिनेटर (तकनीकी), राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन।
4. मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)।
5. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) समस्त जनपद।
6. समस्त टी0पी0आई0, डी0पी0एम0यू0 इस निर्देश के साथ कि यदि किसी योजना में उपरोक्त स्थिति पायी जाती है तो उसका सत्यापन करते हुए वास्तविक आवश्यकता के विपरीत कराये गए कार्य का भुगतान न कराया जाए।

18

अधिशासी निदेशक

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
किसान बाजार, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ–226010

हर घर जल
जल जीवन मिशन

319

पत्रांकः 4210 /W-22(NJJM DPR Observation)/2022-23 दिनांकः 12 जनवरी, 2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)
समस्त जनपद।

विषयः– जल जीवन मिशन अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं हेतु विरचित की गयी डी0पी0आर0 की राष्ट्रीय जल जीवन मिशन एवं राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन टीम द्वारा की गयी स्थलीय निरीक्षण में परिलक्षित कमियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि दिनांक 08.12.2022 को प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी एस0एल0एस0एस0सी0 की 26वी0 बैठक में दिये गए निर्देशों के क्रम में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन एवं राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 19.12.2022 से दिनांक 23.12.2022 तक विभिन्न जनपदों में ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण में टीम द्वारा परिलक्षित कमियों का विवरण निम्नवत है:–

1. कतिपय योजनाओं के डी0पी0आर0 में ट्यूबवेल की Depth ज्यादा ली जा रही है। जिसे केन्द्रीय भूजल बोर्ड के रिपोर्ट, तकनीकी विश्लेषण के आधार पर लिया जाना चाहिए।
2. वितरण प्रणाली में अनावश्यक रूप से कुछ स्थानों पर Trench Width अधिक रखी गयी है जिसे सी0पी0एच0ई0ई0ओ0 Manual के अनुरूप लिया जाना चाहिए।
3. झोपड़ी/कमरा जो गाँव के बाहर है एवं जिस सड़क पर कोई आबादी नहीं है, हेतु भी पाइप लाइनें प्रस्तावित की जा रही है उक्त हेतु जे0जे0एम0 गाइड लाइन में निम्न व्यवस्था दी गयी है:–

   बस्ती– न्यूनतम 20 घरों और/या 100 व्यक्तियों का समूह। तथापि, इससे कम संख्या वाले पहाड़ी/आदिवासी और वन क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल बसावटों को भी इसमें शामिल किया जाना है। गांवों/बस्तियों से दूर एकल घरों/फार्म हाउसों के लिए एफ0एच0टी0सी0 प्रदान करने के लिए वित्तपोषण जे0जे0एम0 के तहत नहीं किया जाएगा।

4. ऐसी ग्राम पंचायत पेयजल योजना जिसमें दो या दो से अधिक गाँव/मजरे प्रस्तावित है, हेतु ओ0एच0टी0 यथा सम्भव गाँवों के मध्य में होना चाहिए।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि टीम द्वारा स्थलीय निरीक्षण के दौरान दी गयी उक्त Observation के आलोक में डी0पी0आर0 को मित्तव्ययी एवं तकनीकी रूप से ग्राह्य विरचित किया जाए, तथा पूर्व में स्वीकृत योजनाओं में भी यदि कोई ऐसी स्थिति आती है तो निर्माण के पूर्व डी0पी0आर0 में संशोधन करते हुए निर्माण कार्य कराया जाए।

भवदीय,

/

(प्रिय रंजन कुमार)
अधिशासी निदेशक

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)।
3. यूनिट कोऑर्डिनेटर (तकनीकी), राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन।
4. मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)।
5. समस्त टी0पी0आई0, डी0पी0एम0यू0 इस निर्देश के साथ कि यदि किसी योजना में उपरोक्त स्थिति पायी जाती है तो उसका सत्यापन करते हुए वास्तविक आवश्यकता के विपरीत कराये गए कार्य का भुगतान न कराया जाए।

अधिशासी निदेशक

प्रेषक,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
गौतमबुद्धनगर।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
विकास भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।

पत्रांक 183 / आपू०-24 / 183 दिनांक 26.9.23

विषय– जल जीवन मिशन के अन्तर्गत चयनित संस्था मै० एस०पी०एम०एल० प्रोजेक्ट प्रा०लि० एवं टी०पी०जी०ए० (जे०वी०) अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत डी०पी०आर० प्रेषित करने के संबंध में।

महोदय,

जनपद गौतमबुद्धनगर में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था मै० एस०पी०एम०एल० प्रोजेक्ट प्रा०लि० एवं टी०पी०जी०ए० (जे०वी०), अहमदाबाद द्वारा 04 नग परियोजनाओं की डी०पी०आर० प्रस्तुत की गयी। उक्त डी०पी०आर० राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्धारित विभिन्न मानकों के अनुरूप नहीं होने के कारण कम्पलाईन नहीं है। मानक के अनुरूप नहीं पाई गई 04 नग योजनाओं की डी०पी०आर० का मानक में नहीं होने का विवरण एवं कारण निम्नानुसार है–

क्र० सं०	योजना का नाम	ब्लाक का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	आबादी वर्ष 2023 की जनसंख्या	योजनान्तर्गत प्रस्तावित FHTC की संख्या	डिजाइन वर्ष 2055 की जनसंख्या	डी०पी०आर० लागत (रु० करोड़)	सेंटेज (रु० करोड़)	कुल लागत (रु० करोड़)	प्रति व्यक्ति लागत डिजाइन वर्ष आबादी हेतु (रु० हजार)	डी०पी०आर० में प्रति FHTC की लागत रु० 35000 से अधिक	[illegible]	मानक के अनुरूप नहीं होने के कारण
1	[illegible] पेयजल योजना	जेवर	1	2737	683	3401	2.879	0.305	3.184	7674	42153	14.80	आबादी का घनत्व कम होने, [illegible] की लम्बाई अधिक होने, अतिरिक्त [illegible] / [illegible] की होने के कारण तथा [illegible] कम होने के कारण
2	अलावलपुर पेयजल योजना	जेवर	1	651	162	1033	1.5973	0.1692	1.7665	15482	98590	11.34	आबादी का घनत्व कम होने, [illegible] अतिरिक्त [illegible] / [illegible] की होने के कारण तथा [illegible] कम होने के कारण
3	सलारपुर कलां पेयजल योजना	दादरी	1	3367	563	3604	3.0515	0.3233	3.3748	8445	54200	13.87	आबादी का घनत्व कम होने, [illegible] की लम्बाई अधिक होने, अतिरिक्त [illegible] / [illegible] की होने के कारण तथा [illegible] कम होने के कारण
4	[illegible] पेयजल योजना	[illegible]	1	1307	333	2175	2.179	0.2307	2.4098	10014	65405	12.98	आबादी का घनत्व कम होने, [illegible] की लम्बाई अधिक होने, अतिरिक्त [illegible] / [illegible] की होने के कारण तथा [illegible] कम होने के कारण

प्रस्तुत 04 नग डी०पी०आर० में से क्रमांक 01 से क्रमांक 04 तक समस्त 04 नग डी०पी०आर० की प्रति गृह संयोजन (FHTC) लागत रु० 35000 से अधिक है तथा क्रमांक 02 एवं क्रमांक 04 पर अंकित योजनाओं की प्रति व्यक्ति लागत भी रु० 9000 से अधिक है। उपरोक्त कारणों से समस्त 04 नग डी०पी०आर० राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा निर्धारित विभिन्न मानकों के अनुरूप नहीं है। उक्त समस्त 04 नग डी०पी०आर० की कार्यालय जल निगम (ग्रामीण) गौतमबुद्धनगर द्वारा विस्तृत रूप से जाँच की गई है तथा नियमानुसार प्रयास करने पर भी उपरोक्त 04 नग डी०पी०आर० को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप लाना सम्भव नहीं हो सका।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति गौतमबुद्धनगर की दिनांक 28.08.2023 को सम्पन्न बैठक में उपरोक्त समस्त 04 नग परियोजनाओं की डी०पी०आर० को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को जाँच एवं स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया है। अतः उक्त निर्णय के क्रम में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पायी गयी उपरोक्त समस्त 04 नग डी०पी०आर० एवं निर्धारित 45 कालम सूचना प्रपत्र मूल रूप में संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक– 1. 04 नग डी०पी०आर०।
2. 45 कालमसूचनाप्रपत्र।

भवदीय,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गौतमबुद्धनगर

पृष्ठांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार–
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
4. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
5. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
6. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गौतमबुद्धनगर।
7. मै० एस०पी०एम०एल० प्रोजेक्ट प्रा०लि० एवं टी०पी०जी०ए० (जे०वी०), अहमदाबाद।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गौतमबुद्धनगर।

CamScanner

प्रेषक,

जिलाधिकारी
चन्दौली।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

पत्रांकः- 2969 / जल जीवन मिशन / 354 दिनांकः- 26-07-23

महोदय,

भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अतिमहत्वाकाँक्षी योजना जल जीवन मिशन फेज-3 के अन्तर्गत हर घर नल से जल उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, ग्रामीण जलापूर्ति विभाग अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 95/दिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी0सी0-अ लखनऊ दिनांक 21-01-2020 के क्रम में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के बैठक की कार्यवृत्त दिनांक 26/07/23 एवं जनपद हेतु सूचीबद्ध एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये 05 नग प्राक्कलन संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः- यथोपरि।

भवदीय

(निखिल टी0 फुंडे)
जिलाधिकारी
चन्दौली।

पृ0सं0 / / दिनांक

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (वारा0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
4. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), चन्दौली।
5. कम्पनी का नाम लिखना है।

जिलाधिकारी
चन्दौली।

दिनांक........................ को जिलाधिकारी महोदय / अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति, चन्दौली की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहें-

1. जिलाधिकारी महोदय, चन्दौली। -अध्यक्ष।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली। -सदस्य।
3. जिला विकास अधिकारी, चन्दौली। -सदस्य।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, वन विभाग, चन्दौली। -सदस्य।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, चन्दौली। -सदस्य।
6. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, चन्दौली। -सदस्य।
7. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, चन्दौली। -सदस्य।
8. जिला कृषि अधिकारी, चन्दौली। -सदस्य।
9. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, चन्दौली। -सदस्य।
10. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम, चन्दौली। -सदस्य।
11. मेसर्स जी0ए0 इन्फ्रा- बाबा (जे0वी0) -सदस्य।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अतिमहत्वाकाँक्षी योजना जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद के विभिन्न विकासखण्डों के ग्राम पंचायतों एवं राजस्व ग्रामों को हर घर नल से जल उपलब्ध कराने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के पत्रांक संख्या 3203/डब्ल्यू-27/(Varanasi)/2022-23 दिनांक 04 नवम्बर 2022 (संलग्नक-1) के द्वारा निर्माण एजेन्सी मेसर्स जी0ए0 इन्फ्रा-बावा (जेवी) एवं पत्रांक संख्या 3490/डब्ल्यू-25/(Varanasi)/2020-21 दिनांक 05 जनवरी 2022 (संलग्नक-2) के द्वारा निर्माण एजेन्सी मेसर्स जी0ए0 इन्फ्रा वाबा (जे0वी), प्लाट नं0- 61 केशव नगर हवा सडस जालपुर, राजस्थान, 302006 तथा पत्रांक संख्या 2124/डब्ल्यू-22/ एन0आई0टी0/2020-21 दिनांक 13-जनवरी-2022 के द्वारा निर्माण एजेन्सी मेसर्स जी0ए0 इन्फ्रा-वावा (जेवी), आर0-14 टी0टी0सी0एम0आरई0डी0सी0 थाने बेलापुर रोड अबैल, नवी मुम्बई नामित की गई है।

राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक प्रस्तावित है। जिसमें अधिक से अधिक डी0पी0आर0 प्रेषित किया जाना है। उ0प्र0 शासन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, लखनऊ के आदेश संख्या 95/ छिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी0सी0-अ दिनांक 21 जनवरी 2020 (संलग्नक-2) द्वारा गठित समिति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के समक्ष निर्माण एजेन्सियों द्वारा पेयजल सम्बन्धी प्रस्तुत डी0पी0आर0 को जल निगम (ग्रामीण) द्वारा तकनीकी रुप से सक्षम स्तर पर जॉचोंपरान्त समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	विकासखण्ड	निर्माण एजेन्सी/ फर्म	योजना का नाम	अनुमानित लागत (रु0 लाख में)	लाभान्वित ग्राम पंचायतों की संख्या	लाभान्वित राजस्व ग्राम की संख्या
1.	चहनियाँ	मेसर्स जी0ए0 इन्फ्रा-बाबा (जेवी)	आवाजापुर	360.54	01	01
2.	नियामताबाद	मेसर्स जी0ए0 इन्फ्रा-बाबा (जेवी)	कठौरी	478.32	01	02
3.	नियामताबाद	मेसर्स जी0ए0 इन्फ्रा-बाबा (जेवी)	लेढ़वा	340.50	01	01
4.	नियामताबाद	मेसर्स जी0ए0 इन्फ्रा-बाबा (जेवी)	महावलपुर	396.13	01	01
5.	नियामताबाद	मेसर्स जी0ए0 इन्फ्रा-बाबा (जेवी)	नियामताबाद	846.87	01	01
योग				2422.36	05	06

अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम / सदस्य सचिव जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा प्रेषित एजेण्डा नोट में उपरोक्त तालिका के अनुसार कुल 05 नग डी0पी0आर0 प्रस्तुत है। उपरोक्त में प्रस्तुत 05 नग डी0पी0आर0 मेसर्स जी0ए0 इन्फ्रा के है समस्त डी0पी0आर एस0डब्लू0एस0एम0 के एस0ओ0आर0 पर बनाये गये है तथा उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), चन्दौली के तथा सभी डी0पी0आर0 तकनीकी रुप से सही है। इसके अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा भी स्पस्ट किया गया कि सभी डी0पी0आर0 शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनसार बनाये गये है, इसमें कोई राजस्व ग्राम/ मजरे छूटे नहीं है तथा डी0पी0आर0 तथा डी0पी0आर0 में दी गयी दरे एस0डब्लू0एस0एम0 के एस0ओर0आर0 से कम ही है। उक्त 08 नग

जल जीवन मिशन के फेज-3 के अन्तर्गत जनपद-चन्दौली के विभिन्न विकास खण्ड के ग्राम पंचायतों / राजस्व ग्रामों की पाईप पेयजल योजनाओं के डी0पी0आर0 एवं अन्य तत्सम्बन्धी कार्यों की संस्तुति / स्वीकृति पर निर्णय लिये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, चन्दौली की अध्यक्षता में शासन द्वारा गठित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक दिनांक..............................
एजेन्डा नोटः-

भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अतिमहत्वाकाँक्षी योजना जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद के विभिन्न विकासखण्डों के ग्राम पंचायतों एवं राजस्व ग्रामों को हर घर नल से जल उपलब्ध कराने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के पत्रांक संख्या 3203/डब्ल्यू-27/(Varanasi)/2022-23 दिनांक 04 नवम्बर 2022 (संलग्नक-1) के द्वारा निर्माण एजेन्सी मेसर्स जी0ए0 इन्फ्रा-बाबा (जेवी) नामित की गयी है।

राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक प्रस्तावित है। जिसमें अधिक से अधिक डी0पी0आर0 प्रेषित किया जाना है। उ0प्र0 शासन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, लखनऊ के आदेश संख्या 95/ छिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी0सी0-अ दिनांक 21 जनवरी 2020 (संलग्नक-2) द्वारा गठित समिति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के समक्ष निर्माण एजेन्सियों द्वारा पेयजल सम्बन्धी प्रस्तुत डी0पी0आर0 को जल निगम (ग्रामीण) द्वारा तकनीकी रुप से सक्षम स्तर पर जॉचोंपरान्त समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	विकासखण्ड	निर्माण एजेन्सी/ फर्म	योजना का नाम	अनुमानित लागत (रु0 लाख में)	लाभान्वित ग्राम पंचायतों की संख्या	लाभान्वित राजस्व ग्राम की संख्या
1.	चहनियाँ	मेसर्स जी0ए0 इन्फ्रा-बाबा (जेवी)	आवाजापुर	360.54	01	01
2.	नियामताबाद	मेसर्स जी0ए0 इन्फ्रा-बाबा (जेवी)	कठौरी	478.32	01	02
3.	नियामताबाद	मेसर्स जी0ए0 इन्फ्रा-बाबा (जेवी)	लेढ़वा	340.50	01	01
4.	नियामताबाद	मेसर्स जी0ए0 इन्फ्रा-बाबा (जेवी)	महावलपुर	396.13	01	01
5.	नियामताबाद	मेसर्स जी0ए0 इन्फ्रा-बाबा (जेवी)	नियामताबाद	846.87	01	01
		योग		2422.36	05	06

(अमर यादव)
अधिशासी अभियन्ता
जल निगम (ग्रामीण)
सदस्य / सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
चन्दौली।

डी0पी0आर0 के क्रम संख्या 01 से 04 तक के 04 नग डी0पी0आर0 रू0 5.00 करोड़ तक हेतु बैठक सम्पन्न की जाती है तथा शेष क्रम संख्या 05 डी0पी0आर0 के सुसंगत अभिलेखों पर समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त संस्तुति सहित स्वीकृति हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अधिशासी अभियन्ता
जल निगम / सदस्य सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
चन्दौली।

परियोजना प्रवन्धक
जी0ए0 इन्फ्रा-बावा (जेवी)
चन्दौली।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई विभाग
चन्दौली/सदस्य।

जिला सूचना एवं
जनसम्पर्क अधिकारी
चन्दौली / सदस्य।

जिला कृषि अधिकारी
चन्दौली/ सदस्य।

प्रभागीय वनाधिकारी, वन विभाग,
चन्दौली / सदस्य।

जिला बेसिक शिक्षा
अधिकारी
चन्दौली / सदस्य।

मुख्य विकास अधिकारी
चन्दौली / सदस्य।

जिला विकास अधिकारी
चन्दौली / सदस्य।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
चन्दौली / सदस्य।

जिलाधिकारी / अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
चन्दौली

प्रेषक,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
जनपद–सीतापुर।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
6, राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ।

पत्रांकः– 2194 / WS-5 / 61 दिनांक 07/10/2023
विषयः– जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद सीतापुर के 10 नग पुर्नगठन पाइप पेयजल योजनाओं के डी0पी0आर0 प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश सं0– 16/2021/948/छिहत्तर–1–2021–25 सम 2019 दिनांक 19.03.2021, शासनादेश सं0 1197/छिहत्तर–1–2021–22 सम/2019 दिनांक 21.05.2021, शासनादेश सं0– 51/2021/1883/छिहत्तर–1–2021–25 सम/2019 दिनांक 06.08.2021, शासनादेश सं0– 53/2021/2774/ छिहत्तर–1–2021/25 सम/2019 दिनांक 05.10.2021, 03/2022/230/छिहत्तर–1–2022–25 सम/2019 दिनांक 08 फरवरी 2022 एवं 07/2022/430/छिहत्तर–1–2022–25 सम/2019 दिनांक 04 मार्च 2022 द्वारा निर्गत निर्देशानुसार रू0 5 करोड़ से कम लागत की परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा की जानी है।

उक्त के कम में मेसर्स एन0सी0सी0 लि0 द्वारा 10 नग पुर्नगठन के डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समक्ष दिनांक 13.09.2023 को प्रस्तुत किये गये जिनकी तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (ल0क्षे0) द्वारा प्रदान की जा चुकी है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा उक्त 10 नग डी0पी0आर0 पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया, जो कि निर्धारित मानक के अनुसार सही पाये गये। जिसमें 08 नग डी0पी0आर0 की लागत 5 करोड़ से कम होने के कारण उनकी स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा दी गयी एवं 02 नग डी0पी0आर0 अनुमानित लागत रू0 5.00 करोड़ से अधिक होने के कारण सरकारी इंजीनियरिंग कालेज से बेट कराने एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु एस0डब्ल्यू0एस0एम0 को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

अतः उक्त सभी 10 नग परियोजनाओं के डी0पी0आर0 संस्तुति सहित निर्धारित प्रारूप पर मूल रूप में अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

भवदीय
(अनुज सिंह)
जिलाधिकारी
सीतापुर

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, 6 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
4. मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर।
5. अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) सीतापुर।
6. मेसर्स एन0सी0सी0 लि0 सीतापुर

जिलाधिकारी
सीतापुर

NCC LIMITED

Re-Organisation DPR FOR DWSM (PH.2)

S.No.	Agency	District	Block Name	Scheme Name	No. of G.P's Covered	No. of Revenue Village/s Covered	No. of Habitation/s Covered	No. of FHTC	Population Details: Initial Population	Population Details: Ultimate Population	Work Cost (Cr.)	Contingency (Cr.)	Estimated Cost (Cr.)	Per Capita Cost: Per Capita Cost Initial Year (Rs.)	Per Capita Cost: Per Capita Cost Design Year (Rs.)	No. of OHSR (Nos)	OHSR Capacity (KL)	Cost of OHSR (Cr.)	OHSR Staging (M)	No. of Tubewell (Nos)	Cost of Tubewell (Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost (Cr.)	Distribution Length (M)	Cost of Distribution System (Cr.)	Cost of Road Cutting (Cr.)	Road Cutting Percentage (%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Solar/ Electricity
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	NCC LTD	Sitapur	Mahmudabad	[illegible]	1	1	2	621	1170	4050	2.0416	0.1798	2.2214	8097	5,527.00	0	0	0.0481	0	1	0.1761	480	95	0.0041	7550	1.9915	0.4661	49.49%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Solar
2	NCC LTD	Sitapur	Mahmudabad	[illegible]	1	6	8	1080	5304	8300	3.7707	0.3994	4.170	7110	4,544.00	0	0	0.0540	0	1	0.181	1110	40	0.0087	19261	1.7541	0.7621	44.72%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Solar
3	NCC LTD	Sitapur	Biswan	[illegible]	1	1	10	2086	13530	21195	6.4443	0.6827	7.127	4835	3,041.00	0	0	0.0632	0	1	0.181	1170	40	0.0087	29509	4.1828	1.4464	35.41%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Electricity
4	NCC LTD	Sitapur	Pahla	[illegible]	1	2	6	626	3131	4907	2.9885	0.2345	3.233	9476	5,941.00	0	0	0.0546	0	1	0.1761	480	95	0.0041	9877	1.190	0.5466	40.79%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Solar
5	NCC LTD	Sitapur	Pahla	[illegible]	1	2	10	1248	6241	9954	4.2044	0.4454	4.650	6737	4,724.00	0	0	0.0549	0	1	0.1935	1950	40	0.0086	25054	1.9736	0.6028	40.71%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Solar
6	NCC LTD	Sitapur	Biswan	[illegible]	1	1	5	1800	6519	10065	4.0028	0.4240	4.427	8141	3,862.00	0	0	0.0546	0	1	0.3851	980	40	0.0086	21106	2.1873	0.9581	47.27%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Electricity
7	NCC LTD	Sitapur	Mahmudabad	[illegible]	1	2	14	1170	5850	9087	4.5850	0.4860	5.082	7857	5,080.00	0	0	0.0552	0	1	0.1935	1210	40	0.0087	27213	2.2509	0.9737	42.49%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Solar
8	NCC LTD	Sitapur	Mahmudabad	[illegible]	1	1	2	1186	5930	9454	3.6204	0.3845	4.014	6121	3,838.00	0	0	0.0549	0	1	0.1833	1270	30	0.0058	11996	1.5156	0.6134	40.49%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Solar
9	NCC LTD	Sitapur	Machrehta	[illegible]	1	3	4	450	2481	3865	2.4526	0.2586	2.712	10089	6,346.00	0	0	0.0481	0	1	0.1588	530	35	0.0041	6411	0.8243	0.3201	38.88%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Solar
10	NCC LTD	Sitapur	Pahla	[illegible]	1	2	6	680	3482	5570	3.4972	0.3705	3.868	10015	6,279.00	1	100	0.1880	16	1	0.1767	780	40	0.0046	10084	1.2508	0.5490	47.49%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Solar

NCC Limited SWSM-Sitapur

JE (Technical)
Division Office
UP Jal Nigam (Rural)
Sitapur

Assistant Engineer
Division Office
UP Jal Nigam (Rural)
Sitapur

Executive Engineer
Division Office
UP Jal Nigam (Rural)
Sitapur

CDO
District Water & Sanitation Mission
Sitapur

District Magistrate
District Water & Sanitation Mission
Sitapur

नोटः– कम संख्या 09 एवं 10 पर अंकित डी0पी0आर0 की प्रति व्यक्ति लागत 6000 से अधिक है एवं साइट कन्डीशन की बाध्यता तथा जनसंख्या कम एवं मजरे दूर –दूर होने के प्रति व्यक्ति लागत 6000 से अधिक आ रही है जथा जांच के उपरान्त कम किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

JE

अन्य बिन्दु

मान्नीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

बैठक में उपरोक्तानुसार निर्णय लिये गये। तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(अनुराग श्रीवास्तव)
आई0ए0एस0
प्रमुख सचिव,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष
राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति।

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)
किसान बाजार, विभूतिखण्ड गोमतीनगर लखनऊ–226010
संख्या–3769/डब्ल्यू–335/टेक/जे0जे0एम0/एस0एल0एस0एस0सी0–44वीं/2023–24
दिनांक 05 दिसम्बर, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग व लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. नामित प्रतिनिधि, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. प्रबन्ध निदेशक(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, 6 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
4. विशेष सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निदेशक, भू–गर्भ जल विभाग, उ0प्र0, 9वां तल इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ–226016।
7. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड, लखनऊ।
8. मुख्य अभियंता (ग्रामीण) उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
9. प्रोफ़ेसर/विभागाध्यक्ष, सिविल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट,बुन्देलखण्ड इस्टीटयूट आफ इंजी.टेक्नोलाजी, झांसी।
10. प्रोफ़ेसर/विभागाध्यक्ष, सिविल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़।
11. प्रोफ़ेसर एण्ड हेड, सिविल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट, आई0आई0टी0, बी0एच0यू0 वाराणसी।
12. प्रोफ़ेसर एण्ड हेड, सिविल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट, मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद।
13. आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, सिविल अभियंत्रण विभाग, मदन मोहन मालवीय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बृजराज सिंह यादव)
आई0ए0एस0
अधिशासी निदेशक/
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

दिनांक 31.10.2023 को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की चौवालीसवीं बैठक में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों/विशेषज्ञों की सूची

क्र0सं0	नाम	पदनाम	संस्था/विभाग
1	श्री अनुराग श्रीवास्तव आई0ए0एस0	प्रमुख सचिव	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
2	डा0 बलकार सिंह आई0ए0एस0	प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण)	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
3	श्री प्रदीप कुमार सिंह आई0ए0एस0	निदेशक राष्ट्रीय जल जीवन मिशन।	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, चौथा तल, पंडित दीनदयाल अन्त्योदय भवन सीजीओ काम्पलेक्स लोधी रोड नई दिल्ली–110003
4	श्री बृजराज सिंह यादव आई0ए0एस0	अधिशासी निदेशक	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5	श्री राजेश कुमार प्रजापति आई0ए0एस0	विशेष सचिव	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
6	श्री अबसार खॉन	इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषज्ञ अभियन्ता राष्ट्रीय जल जीवन मिशन।	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, चौथा तल, पंडित दीनदयाल अन्त्योदय भवन सीजीओ काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
7	श्री सुमित प्रियदर्शी	सहायक सलाहकार राष्ट्रीय जल जीवन मिशन।	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, चौथा तल, पंडित दीनदयाल अन्तोदय भवन सीजीओ काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

8	श्री जय मंगल राव	वित्त नियंत्रक	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9	श्री ए0पी0 सिंह	निदेशक	केन्द्रीय जल आयोग,अपर गंगा बेसिन जान्हवी सदन, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
10	श्री रविकान्त सिंह	सीनियर जी0ओं0 हाइड्रोलोजिस्ट	भूगर्भ जल विभाग, नौवां तल इन्दिरा भवन अशोक मार्ग,लखनऊ।
11	श्री संजीव मेहरोत्रा	वैज्ञानिक–डी	केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, सीतापुर रोड, अलीगंज लखनऊ।
12	श्री इजहारूल हक फारूकी	प्रोफेसर एवं हेड	ए0एम0 यूर्निविसिटी, अलीगढ।
13	श्री आर0सी0 वैश्य	प्रोफेसर एवं हेड	सिविल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट, मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद।
14	श्री गोविन्द पाण्डेय	प्रोफेसर एवं हेड	सिविल अभियंत्रण विभाग, मदन मोहन मालवीय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
15	श्री अमिताभ श्रीवास्तव	प्रोफेसर एवं हेड	सिविल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट,बुन्देलखण्ड इस्टीटयूट आफ इंज टेक्नोलाजी, झांसी।
16	डा0 अम्बरीष कुमार सिंह	उप सचिव	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
17	श्री डी0के0 सिंह	मुख्यअभियंता (स्तर–2)/ यूनिटकोआर्डिनेटर(तकनीकी)	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
18	श्री गया प्रसाद	स्टेट कोआर्डिनेटर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
19	श्री अच्छेलाल सिंह यादव	जी0आई0एस0 विशेषज्ञ	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
20	श्री घनश्याम द्विवेदी	तकनीकी विशेषज्ञ	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
21	श्रीमती रितिका राय	अधिशासी अभियंता	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
22	श्रीमती ललिता सिंह	अधिशासी अभियंता	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
23	श्री मनोज कुमार	सहायक शोध अधिकारी	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
24	डा0 संदीप कुमार सिंह	सहायक शोध अधिकारी	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।